**मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996**

**(Arbitration and Conciliation Act, 1996).**

**मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र**

**(Application u/sec. 8 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996)**

न्यायालय.......

वाद सं० ............ सन् ...........

अ०ब०स० ............ वादी

**बनाम**

स०द०फ० ............. प्रतिवादी

महोदय,

उपरोक्त नामांकित प्रार्थी/प्रतिवादी निम्न प्रकार सविनय कथन करता है :

1. यह कि इस मान्य न्यायालय में वादी द्वारा प्रार्थी को प्रतिवादी दर्शाते हुए वाद दायर किया गया है जिसमें मान्य न्यायालय द्वारा जवाब दावा दायर करने हेतु दिनांक ............ नियत की गई.
2. यह कि वादी और प्रार्थी/प्रतिवादी के मध्य पंच निर्णय करार में यह निश्चय किया गया थोक विवाद की स्थिति में दोनों पक्षकारों की सहमति से नियुक्त किये गये मध्यस्थ के पास पंच नणय हतु मामला भेजा जाएगा। मध्यस्थ करार (अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न हैं)
3. यह कि प्रस्तुत वाद में विवाद की स्थिति वैसी ही है जो कि मध्यस्थ करार में है । अत: उसे पहल मध्यस्थ करार की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों की सहमति से नियुक्त मध्यस्थ के निर्णय हेतु भेजा जाना चाहिए था।
4. यह कि दी द्वारा मध्यस्थ को मामला न भेजकर इस न्यायालय में दायर किया गया है जो वस्थ करार की शर्तों के विपरीत है। इसलिए प्रस्तुत वाद की कार्यवाही, अमल में लाई जानी त का जानी चाहिए और प्रकरण पंचनिर्णय हेतु संदर्भित होना चाहिए।
5. यह कि प्रार्थी/प्रतिवादी उन सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है और इच्छक है जो मामले यस्य निर्णय हेतु भेजने के लिए मध्यस्त करार के अनुसार आवश्यक है।

**प्रार्थना :**

अत: श्रीमान जी से प्रार्थना है कि वर्तमान वाद की कार्यवाही मान्य न्यायालय द्वारा उचित एवं समझा जाने वाली शर्तों पर स्थगित करने की कृपा करें । पक्षकारों को पंचनिर्णय हेत संदर्भित करने की कृपा करें।

**दिनाँक** ..  **प्रार्थी……**

**द्वारा अधवक्ता.......**

**नोट** - प्रार्थना पत्र की पष्टि में एक शपथ पत्र दायर किया जाए।